for lumpsum payment of admissible pro-rata pension at the time of their absorption in Public Sector Undertakings is under consideration of the Government. The position regarding admissibility of CGHS facility for these absorbees would be reviewed after a decision is taken in the matter of restoration of a portion of the commuted pension.

पंचायत चुनावों के संबंध में याचिकाओं का शीघ्र निपटारा

1881. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया है और उसमें यह प्रावधान किया है कि जब भी चुनावों के संबंध में कोई याचिका दायर की जाएगी, तो संबंधित अधिकारी को छः महीने के भीतर निर्णय देना होगा;

(ख) क्या देश भर में उपर्युक्त निर्णय का अक्षरशः कार्यान्वयन हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कितनी याचिकाएं मंडल-वार दायर की गई हैं तथा कितने मामलों को उप मंडल अधिकारी (सिविल) द्वारा निपटाया गया है एवं कितनी याचिकाएं किन-किन कारणों से लंबित है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत पंचायत चुनावों से संबंधित याचिकाओं को छः महीने के अन्दर निपटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 167 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि पंचायत चुनावों से संबंधित प्रत्येक चुनाव याचिका पर इसके प्रस्तुतीकरण की तारीख से छः महीने के भीतर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्णय दे दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) चूंकि यह राज्य का मामला है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जाती है।

(घ) हिमाचल प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन के सभापटल पर रख दिया जाएगा।

Re-Organisation of Central Ministries

1882. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the suggestion made by the Confederation of Indian Industries (CII) for re-organising the Central Ministries into eleven integrated ones; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN): (a) Yes Sir.

(b) The Confederation of Indian Industry has proposed that the Central Ministries of the Government of India should be re-organised into following eleven Ministries:

1. Defence, Space and Atomic Energy
2. Energy (Power/Renewable energy/oil/gas/Coal)
3. Environment (including Water, Urban Development, Wasteland Development)
4. External relations and International Trade (External Affairs & Commerce)
5. Finance, Planning & Programme Implementation
6. Food, Agriculture & Civil Supplies (Food Processing & Rural Development)
7. Home (including Personnel & State Coordination)
8. HRD (Labour, Education, Youth, Sports, Women, Culture, Health, Welfare)